रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 280] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 26, 1973/अग्रहायण 5, 1895
No. 280] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 26, 1973/AGRAHAYANA 5, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November 1973

G.S.R. 506 (E).—In excercise of the powers conferred by Section 12 of the Government Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules to amend the National Savings Certificates (V Issue) Rules, 1973, namely:—

(1) These rules may be called the National Savings Certificates (V Issue) (Amendment) Rules 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In rule 1 of the National Savings Certificates (V Issue) Rules, 1973 (hereinafter referred to as the said rules), in sub-Rule (2), for the figures, letters and word "1st December, 1973", the figures, letters and word "1st January, 1974," shall be substituted.

3. In rule 6 of the said rules, for the figures, letters and word "1st December, 1973" the figures, letters and word, 1st January, 1974, shall be substituted.

[No. F. 3 (5)-NS 72]

B. MAITHREYAN Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1973

सा० का० नि० 506 (अ).—केन्द्रीय सरकार, बचत पत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय बचत-पत्र (पंचम निर्गम) नियम 1973 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम राष्ट्रीय बचत-पत्र (पंचम निर्गम) (संशोधन) नियम 1973 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय बचत-पत्र (पंचम निर्गम) नियम, 1973 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 1 के, उपनियम (2) में, "1 दिसम्बर, 1973" अंक-अक्षर और शब्द के स्थान पर "1 जनवरी, 1974", अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे।

3. उक्त नियम के नियम 6 में, "1 दिसम्बर, 1973" अंक, अक्षर और शब्द के स्थान पर "1 जनवरी, 1974," अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे।

[सं० फा० 3(5)-एन०एम०/72]

बी० मैत्रेयन, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973